तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2757/2023/अलवर केदार उर्फ केदाराराम बनाम फूतिया उर्फ फूलसिंह आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
14.06.23	**एकल–पीठ** **डॉ0 गिरीश पाराशर, सदस्य** **उपस्थित :** श्री शैलेन्द्र राणा, अभिभाषक प्रार्थी **–आदेश–** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ के आदेश दिनांक 18–02–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम ढिस तहसील बहरोड़ जिला अलवर के खेत खसरा नम्बर 1258, 1259, 1260, 1267, 436, 436/1426, 438, 438/1427, 1034, 1111, 1262, 1263, 455, 456, 457, 458, 1261, 454, 231, 232, 233, 135, 135/1403, 136, 136/1404, 1122, 244, 248, 309, 425, 435/1437, 1028, 1028/1347, 1268 जोकि एक संयुक्त खाते की भूमि है, जिसके विभाजन हेतु वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को एकतरफा सुनवाई करते हुए दिनांक 18–02–2021 को वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये जाने के पश्चात् प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए जवाब प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष जैरकार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण आदेश 39 नियम 3 व 4 सीपीसी के प्रावधानों के तहत नहीं किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को निगरानी के एडमिशन पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी के एडमिशन पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम ढिस तहसील बहरोड़ जिला अलवर के खेत खसरा नम्बर 1258, 1259,	

	1260, 1267, 436, 436/1426, 438, 438/1427, 1034, 1111, 1262, 1263, 455, 456, 457, 458, 1261, 454, 231, 232, 233, 135, 135/1403, 136, 136/1404, 1122, 244, 248, 309, 425, 435/1437, 1028, 1028/1347, 1268 के बाबत् जोकि कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों के संयुक्त खाते की भूमि रही है, के विभाजन का दावा मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्ययालय द्वारा दिनांक 18–02–2021 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में एकतरफा सुनवाई करते हुए आराजी जैर के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश प्रसारित होने के उपरान्त अप्रार्थी/निगरानीकर्ता जरिये अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर जवाब प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है। जबकि इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिवस के भीतर–भीतर किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के उपरोक्त प्रावधान की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई है। इस संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 221 में मण्डल को शक्तियॉ प्रदत की गई है कि जहॉ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की अवहेलना अथवा अनदेखी की जा रही हो, ऐसी स्थिति में धारा 221 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जा सकता है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र जैरकार है, जिसमें सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने के आधार पर आदेश प्रसारित किया जा सकता है, परन्तु पक्षकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष जैरकार प्रकरण में विधि विरूद्व तरीके से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए उसे असिमित समय तक कायम रखते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश जैर निगरानी दिनांक 18–02–2021 निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा हस्तगत् निगरानी उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ के आदेश दिनांक 18–02–2021 के विरूद्व प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने की मांग प्रस्तुत	

	निगरानी के माध्यम से की गई है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीधीन आदेश के माध्यम से वादग्रस्त भूमि के बाबत् मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उक्त आदेश प्रसारित होने के उपरान्त दिनांक 16–01–2023 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब व प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगणों के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने व निगरानी प्रस्तुत होने की दिनांक 07–06–2023 तक अर्थात आदेश जैर निगरानी पारित होने के दो वर्ष चार माह उपरान्त तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण अंतिम रूप से नहीं किया गया है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 3 (क) में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है किः– 3-A. Court to dispose of application for injunction within thirty days -- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall made an endeavor to finally dispose of the application within thirty days from the date on which the injunction as granted and where it is unable so to do, it shall record its reasons for such inability. प्रस्तुत प्रकरण में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि प्रार्थी द्वारा अंतरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निहित प्रावधान आदेश 39 नियम 3 (क) की अवधारणा की पालना नहीं किया जाना जाहिर होता है। वृहद न्याय व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के प्रश्न को दृष्टिगत् रखते हुए प्रार्थी की निगरानी को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष जैरकार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का यथासम्भव एक माह में निस्तारण करें। प्रार्थी की निगरानी उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में निस्तारित की जाती है। आदेश की सूचना जरिये कम्प्यूटर अभिभाषक प्रार्थी को दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 गिरीश पाराशर) सदस्य	